प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता) बुक नं0

1.जिला **ओपी एसीबी सीकर**, थाना **प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्रनिब्यूरो जयपुर** वर्ष **2023**

प्र0सू0रि0 सं. ....90/2023........ दिनांक ....21/4/2023........

2.(i) अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) धारा.. 7 ....

(ii) अधिनियम... धारायें...

(iii) अधिनियम... धारायें...

(iv) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3.(क) रोजनामचा आम रपट संख्या........384........ समय ....4:10pm........

(ख) अपराध घटने का दिन गुरूवार दिनांक :– 20.04.2023 समय ....10.50 एएम ....

(ग) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– .... समय ....

4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक :– लिखित

5. घटनास्थल :– पुलिस थाना मारोठ जिला नागौर।

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– **दक्षिण–पश्चिम करीब 100 किलोमीटर**

(ब) पता :– पुलिस थाना मारोठ जिला नागौर।

(स) यदि इस पुलिस थानासे बाहरी सीमा का है तो

पुलिस थाना .... जिला ....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–

(अ) नाम :– श्री फूलचन्द

(ब) पिता/पति का नाम :– श्री छितरमल कुमावत

(स) जन्म तिथि/वर्ष :– 33 वर्ष

(द) राष्ट्रीयता– .... **भारतीय** ....

(य) पासपोर्ट संख्या ....

जारी करने की तिथि .... जारी होने की जगह ....

(र) व्यवसाय :– ....

(ल) पता :– निवासी खौरानियों की ढाणी, ढाणीनागान, पुलिस थाना जोबनेर जिला जयपुर।

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–

श्री रामनिवास पुत्र श्री हिरालाल, उम्र–33 वर्ष, जाति मेघवाल, निवासी गांव सामोता का बास, पुलिस थाना रींगस जिला सीकर हाल कानि. नं. 1344 पीएस मारोठ जिला नागौर।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–.......................................

.... कोई देरी नहीं हुई ....

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)

....

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य .... **रिश्वती राशि 10,000 रूपये**..............................

11. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :–

दिनांक 19.04.2023 को समय करीब 01.11 पीएम पर परिवादी श्री फूलचन्द कुमावत ने अपने मोबाईल नम्बर 8824892508 से श्री राजेश जांगिड़ उप अधीक्षक पुलिस को कॉल कर पुलिस थाना मारोठ जिला नागौर के श्री जगदीश प्रसाद एचसी एवं रीडर श्री रामनिवास द्वारा रिश्वत मांगने तथा उनको रिश्वत नहीं देकर पकडवाने की कही, जिस पर उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी को मुनासिब हिदायत दी जाकर परिवादी के चाहेनुसार समय करीब 2.25 पीएम पर कार्यालय के श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 386 को कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर सुपुर्द कर परिवादी से मारोठ में सम्पर्क कर परिवादी से प्रार्थना पत्र प्राप्त करने तथा परिवादी को टेप चालू कर सुपुर्द करने की हिदायत देकर रिश्वत की मांग का सत्यापन हेतु रवाना किया गया। उप अधीक्षक पुलिस ने मन् सुरेशचन्द पुलिस निरीक्षक को मामले में अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

कार्यवाही पुलिस

19.04.2023

8.45 पीएम इस समय श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 386 मय परिवादी श्री फूलचन्द कुमावत पुत्र श्री छितरमल कुमावत, उम्र–33 वर्ष, जाति कुमावत, निवासी खौरानियों की ढाणी,

ढाणीनागान, पुलिस थाना जोबनेर जिला जयपुर ग्रामीण बाद सत्यापन रिश्वत मांग उपस्थित कार्यालय आये। श्री कैलाशचन्द कानि. ने डिजिटल टेप रिकार्डर मन् पुलिस निरीक्षक सुरेशचन्द को सुपुर्द कर बताया कि "मारोठ थाने के पास पहूँच मैने टेप रिकार्डर परिवादी को सुपुर्द कर दिया तथा उसके थाने से वापिस आने पर प्राप्त कर लिया" परिवादी ने मन् सुरेशचन्द पुलिस निरीक्षक के समक्ष उपरोक्त लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि " मेरे सगे चाचाजी स्व. श्री रामेश्वरलाल के लड़के श्री राकेश कुमावत के विरूद्व पुलिस थाना मारोठ जिला नागौर में दर्ज मुकदमें में राकेश कुमावत को दिनांक 17.04.2023 को बन्द कर दिया, जो अब पुलिस रिमाण्ड पर है। मारोठ थाने का जांच अधिकारी श्री जगदीश प्रसाद एचसी से मैं मिला तो उसने मुकदमें में शेष आरोपीगण का नाम हटाने के लिये खुद के लिये तथा फाईल के काम करने वाले थानाधिकारी के रीडर श्री रामनिवास के लिये खर्चा पानी देने की कही। मै उक्त दोनों को रिश्वत के रूपये देना नहीं चाहता हूँ, और उनको रिश्वत लेते हुये पकडवाना चाहता हूँ। रिपोर्ट देता हूँ कानूनी कार्यवाही करें।"

मजिद दरियाफ्त पर परिवादी ने प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित एवं हस्ताक्षरित होना व प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का सही होना बताते हुये पुलिस थाना मारोठ जिला नागौर के श्री जगदीश प्रसाद एचसी एवं रीडर श्री रामनिवास से पहले की कोई रंजीश अथवा उधार लेनदेन नहीं होना बताया। परिवादी ने बताया कि थाने के पास पहूँच मैने श्री कैलाशचन्द से टेप रिकार्डर प्राप्त कर थाने में गया जहॉ मैने जगदीश एचसी के रीडर श्री रामनिवास से बात की तो उसने मेरे भाई राकेश के परिचित से 20,000 रूपये मंगवाने की कही तथा मौके पर मेरे से 5000 रूपये ले लिये तथा शेष 10,000 रूपये और देने की कही। टेप रिकार्डर को सुना गया तो परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एवं उसके बताये गये कथनों की ताईद होती है। अतः परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, टेप रिकार्डर सुरक्षित आलमारी में रखा गया। आईन्दा कल दिनांक अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। परिवादी को कार्यालय बैरिक में ठहराया गया।

दिनांक 20.04.2023 को समय करीब 8.00 एएम पर कार्यालय मुख्य प्रबन्धक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम आगार सीकर से श्री गुलाबसिंह एवं श्री सुभाषचन्द गढवाल चालकगण राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम डिपो आगार सीकर के उपस्थित कार्यालय आने पर कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री फूलचन्द का परिचय दोनों गवाहान से करवाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया व प्रार्थना पत्र पर दोनों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मामले में गवाह रहने हेतु सहमति प्राप्त की गई।

तत्पश्चात परिवादी श्री फूलचन्द ने हिदायत देने पर आरोपी श्री रामनिवास कानिस्टेबल पुलिस थाना मारोठ, जिला नागौर एवं अन्य को रिश्वत के रूप में दिये जाने वाले पांच-पांच सौ रूपये के 20 नोट कुल 10,000 रूपये पेश किये जिनके नम्बर निम्नानुसार है :-

1-एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9BK 061103
2-एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9GU 195695
3-एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8AV 561122
4-एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8EA 710904
5-एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3EQ 279072
6-एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7LN 715080
7-एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6KV 854450
8-एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9QP 752793
9-एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3AH 116413
10-एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3HM 216526
11-एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8BL 736525
12-एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6AS 464184
13-एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5PC 438229
14-एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5PC 438221
15-एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5PC 438222
16-एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7LE 558843
17-एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9AR 791780
18-एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8HG 862239

19–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1BE 042040
20–एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2WT 336868

उपरोक्त समस्त नोटों पर श्रीमती सुशीला महिला कानि. नं. 107 से हस्ब कायदा फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया जाकर गवाह श्री सुभाषचन्द गढवाल से परिवादी श्री फूलचन्द की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। फिनोफ्थलीन पाऊडर लगे 10,000 रूपयों के नोट श्रीमती सुशीला महिला कानि. से परिवादी के पहने हुई बुशर्ट की सामने की जेब में सावधानी पूर्वक रखवाये जाकर परिवादी को मुनासिब हिदायत दी गई। प्रदर्शन करवाकर दोनो पाऊडरों की आपसी रासायनिक प्रतिकिया व महत्व परिवादी व गवाहान को समझाया गया। फिनोपथलीन पाऊडर की शीशी गवाहान की मौजूदगी में श्रीमती सुशीला महिला कानि. से कार्यालय के मालखाना में रखवाकर ताला बंद करवाया गया। कागज जिस पर रखकर रूपयों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया था, को जलाया गया, गिलास के घोल को फेंक कर कांच के गिलास को श्रीमती सुशीला महिला कानि. के जरिये साफ पानी व साबुन से साफ करवाया गया। परिवादी, दोनो गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। ट्रेप कार्यवाही में धोवन हेतु काम में लिये जाने वाले कांच के गिलासों व कांच की शीशीयों को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर साफ करवाते हुयें ट्रेप बोक्स तैयार करवाया गया। गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिवायी जाकर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नही रहने दी गयी। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को गोपनीयता बनाये रखने व तय ईशारे बाबत समझाईश कर मुनासिब हिदायत दी गयी। रिश्वत के लेन–देन के समय होने वाली बातचीत को सावधानी पूर्वक टेप करने हेतु कार्यालय का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के परिवादी फूलचन्द को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत दी गई।

कार्यालय में की जाने वाली कार्यवाही पूर्ण कर समय 9.00 एएम पर रिश्वत मांग सत्यापन का वार्ता दिनांक 19.04.2023 का मेमोरी कार्ड हमरा लेकर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री गुलाबसिंह एवं श्री सुभाषचन्द गढवाल चालकगण, स्टाफ के श्री रोहिताश्व सिंह एएसआई, श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि. नं. 126, श्री मूलचन्द कानि. नं. 207, श्रीमती मंजू महिला कानि., श्री रूपेश कुमार कानि. चालक के जरिये सरकारी वाहन एवं श्री राजेश जांगिड़ उप अधीक्षक पुलिस मय परिवादी श्री फूलचन्द, श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 568, श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 386, श्री रामनिवास कानि. नं. 485 के परिवादी के प्राईवेट वाहन से ट्रेप बाक्स एंव लैपटॉप मय प्रिन्टर साथ लेकर सीकर से रवाना होकर पुलिस थाना मारोठ जिला नागौर के पास स्थित शिव मंदिर के पास पहूँचा, जहॉ परिवादी को पुलिस थाना मारोठ की तरफ रवाना किया जाकर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान पार्टी के वाहनों में परिवादी के ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुआ। समय करीब 10.50 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक को परिवादी फूलचन्द का मिस कॉल देने का तय ईशारे की सूचना प्राप्त होने पर मन् पुलिस निरीक्षक ने हमराहीयान पार्टी को साथ लेकर समय करीब 10.55 एएम पर पुलिस थाना मारोठ के मुख्य दरवाजे पर पहूँचा जहॉ सामने थाने के खुले परिसर में परिवादी खड़ा, जिसने टेप रिकार्डर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया जिसे सुरक्षित रखा गया। परिवादी ने थाना परिसर में कुछ दूरी पर खड़े एक व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि "यही रामनिवास जी जिन्होने अभी अभी मेरे से दस हजार रूपये रिश्वत के लिये है" इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिसर में खड़े व्यक्ति को अपना परिचय देते हुये उससे परिचय एवं परिवादी से रिश्वत लेने बाबत पूछा तो इसने घबराते हुये अपना नाम श्री रामनिवास कानिस्टेबल नं. 1344, पुलिस थाना मारोठ, जिला नागौर होना बताते हुये कहा कि " मेरे को मुल्जिम राकेश से बरामदगी करनी थी उस बात के लिये है" मौके पर मौजूद परिवादी श्री फूलचन्द ने श्री रामनिवास कानि. के कथनों का खण्डन करते हुये बताया कि " ये झूॅठ बोल रहे है, कल दिनांक 19.04.2023 को मै इनसे थाने में ही मिला तब इन्होने मुझे राकेश द्वारा अपने परिचित श्री बिहारीलाल नागा से 20,000 रूपये लेने की तथा मेरे भाई राकेश से इन रूपयों को जप्त नहीं करना बताकर मुकदमें में शेष दो आरोपी को मुल्जिम नहीं बनाने की कहकर 5,000 रूपये मेरे से मौके पर ले लिये तथा शेष 10,000 रूपये और देने की कही, तब इन्होने कहा कि जगदीश एचसी से मै बात कर लूंगा, आज इनको मैने इनके कमरे में 10,000 रूपये इनको गेट के पास बने कमरे में दिये तो इन्होने अपने हाथों से गिनकर अपनी पहनी हुये लोअर की पीछे की दाहिनी जेब में रख लिये" रिश्वत लेनदेन की पुष्टि होने पर श्री कैलाशचन्द कानि. नं. 386 ने आरोपी रामनिवास कानि. के बांये हाथ एवं श्री मूलचन्द कानि. ने आरोपी कानि. के दाहिने

हाथ को कलाईयों के उपर से पकडवाये गये। तत्पश्चात दो साफ कांच के गिलासों को साफ पानी व साबून से धुलवाकर उनमें साफ पानी भरवाकर थोडा–थोडा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नही बदला एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी रामनिवास कानि. के दाहिने हाथ की अंगुलियो को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबीसा हो गया। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में उक्त आरोपी रामनिवास कानि. के बायें हाथ की अंगुलियो को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। दोनों हाथों के उक्त धोवन को अलग–अलग दो–दो साफ कांच की शीशीयों को साफ पानी व साबून से धुलवाकर उनमें आधा–आधा भरवाकर शीशीयों को सील बन्द व चिट चस्पा कर दाहिने हाथ के धोवन को मार्क आर–1 एंव आर–2 से तथा बायें हाथ के धोवन को मार्क एल–1, एल–2 से सील्ड किया गया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी रामनिवास कानि. को परिवादी से प्राप्त रिश्वती राशि पेश करने की हिदायत देने पर इसने अपने पहनी हुई लोअर की पीछे की दाहिनी जेब से निकालकर रूपये पेश किये, जिनको गवाह श्री सुभाषचन्द गढवाल से गिनवाये गये तो पॉच–पॉच सौ रूपये के 20 नोट कुल 10,000 रूपये पाये गये। इन नोटो के नम्बरों का मिलान दोनों गवाहों से पूर्व में बनी फर्द पेशकशी से करवाया गया तो नोटो के नम्बर फर्द पेशकशी में अंकित नम्बरों के अनुरूप पाये गये। बरामद नोटो के नम्बर मौके पर बनाई फर्द में अंकित करवाकर बरामद शुदा नोटों को एक सफेद कागज पर सिलवाकर सील्ड करवाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर जप्त किया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री रामनिवास कानि. को दूसरी पेन्ट उपलब्ध करवाकर उसको पहनी हुई लोअर उतारकर पेश करने की हिदायत देने इसने पहनी हुई लोअर उतारकर पेश की। तत्पश्चात एक साफ कांच के गिलास को व श्री मूलचन्द कानि. के दोनों हाथों को साफ पानी व साबून से धुलवाकर उनमें साफ पानी भरवाकर थोडा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नही बदला। उक्त गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री रामनिवास कानि. के पहनी हुई लोअर की पीछे की दाहिनी जेब को उलटवाकर जेब का धोवन लिया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिन्हे दो साफ कांच की शीशीयों को साबून पानी से धुलवाकर उनमें आधा–आधा डलवाकर शीशीयों को मार्क पी–1 व पी–2 से सील्ड कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर जप्त किया गया। तत्पश्चात आरोपी रामनिवास की लोअर की जेबों की तलाशी लिवाई गई तो अन्य कोई सामान नहीं मिला। उक्त लोअर ब्लेक कलर की दाहिनी जेब पर लाल पैन्सिल से संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर लोअर को एक सफेद कपड़े की थैली में सील्ड करवाकर पैकेट पर मार्क "बी" अंकित किया गया।

तत्पश्चात आरोपी रामनिवास कानि. को परिवादी के चाचा का लड़का भाई राकेश के विरूद्व दर्ज प्रकरण एवं दिनांक 17.04.2023 को आरोपी राकेश के परिचित से 20,000 रूपये लेने एवं रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान दिनांक 19.04.2023 को परिवादी से 5,000 रूपये प्राप्त करने के बारे में पूछा तो बताया कि " थाने पर दर्ज अभियोग 06/2023 विरूद्व श्री राकेश एवं अन्य की अन्वेषण श्री जगदीश प्रसाद एचसी 1219 कर रहे है, मै थानाधिकारी के रीडर के रूप में कार्य करता हूँ, जगदीश एचसी के कहने पर मैने मुकदमें की पत्रावली तैयार की थी, दिनांक 17.04.2023 को आरोपी राकेश को गिरफ्तार करने से पहले मामलें में रूपये जप्त करने के लिये राकेश के परिचित से मंगवाये थे, जो मैने मुकदमें में जप्त करना मुनासिब नहीं समझकर अपने पास ही रख लिये थे, दोनों बार लिये गये 20,000 एवं 5,000 रूपये थाने में मेरे बैठने के लिये बने कमरे में रखी आलमारी में रखे पर्स में रखे है" थाने में बन्द हवालात राकेश को सन्तरी श्री विजेन्द्र कानि. के मार्फत बाहर निकलवाया जाकर राकेश से पूछा तो बताया कि " दिनांक 17.04.2023 को मुझे गिरफ्तार करने से पहले रामनिवास ने मुझे रूपये देने की कही तक मैने अपने मोबाईल फोन नम्बर 8769324909 से मेरे परिचित श्री बिहारीलाल नागा से उनके मोबाईल नम्बर 9828106240 पर समय करीब 8.12 पीएम पर वार्ता कर 20,000 रूपये मंगवाये थे, जो रामनिवास को दिये।" उक्त घटना को थाने में लगे सीसीटीवी केमरे में देखने हेतु थाने से डीवीआर मंगवाकर हार्डडीस्क चलाकर प्रयास किया गया, परन्तु नहीं चलने के कारण फूटेज प्राप्त नहीं किये जा सके। मौके पर श्री जगदीश एचसी को राकेश द्वारा उसके परिचित से मंगवाये गये 20,000 रूपये एवं रिश्वत मांग सत्यापन के समय परिवादी से लिये गये 5000 रूपये एवं आज मौके पर परिवादी से लिये गये 10,000 रूपये के बारे में पूछने पर बताया कि "मुझे इन रूपयों का पता नहीं है, रामनिवास ने कब लिये है मुझे कोई जानकारी नहीं, मैने रामनिवास एवं परिवादी श्री फूलचन्द को कभी भी रूपयों के बारें में नहीं कहा है" मौके पर परिवादी ने भी पूछने पर श्री जगदीश एचसी द्वारा

कभी भी रिश्वत की मांग नहीं किया जाना बताया। श्री जगदीश एचसी नं. 1219 को राकेश से संबंधित प्रकरण के बारे में पूछा तो बताया कि "थाने पर दर्ज प्रकरण संख्या 06/23 की अनुसंधान मै कर रहा हूँ, मै कम्प्यूटर चलाना नहीं जानता हूँ, इसलिये मेरी पत्रावलियां श्री रामनिवास ही तैयार करता है। श्री जगदीश एचसी द्वारा उक्त प्रकरण संख्या 06/2023 की पत्रावली पेश करने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया, पत्रावली के अवलोकन से एफआईआर में नामजद तीन आरोपी होना, जिसमें एक आरोपी राकेश को दिनांक 18.04.2023 को समय 12.05 एएम पर गिरफ्तार किया जाना, आरोपी राकेश को दिनांक 18.04.2023 को दो दिन की पी/सी लिये जाना तथा शेष नामजद दो आरोपीगण को आरोपी नहीं माना गया है। चूँकि आरोपी राकेश को बाद पीसी न्यायालय में पेश किया जाना बताया, जिस पर प्रकरण से संबंधित सम्पूर्ण पत्रावली की फोटो प्रति करवाई जाकर थानाधिकारी श्री राजकुमार से प्रमाणित करवाई जाकर जप्त की गई तथा मूल पत्रावली श्री जगदीश एचसी को सुपुर्द की गई। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द बरामदगी रिश्वती नोट मौके पर तैयार की जाकर शामिल कार्यवाही की गई। आरोपी श्री रामनिवास कानिस्टेबल नं. 1344 पुलिस थाना मारोठ जिला नागौर को अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में हस्ब कायदा जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। आरोपी श्री रामनिवास कानिस्टेबल द्वारा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत दी गई फर्द ईत्तला पर आरोपी कानि. के थाने के कमरे में रखी आलमारी में रखे मेरे पर्स में 25000 रूपये बरामद कर जप्त किये गये। उक्त कार्यवाही की फर्द जप्ती एवं नक्शा मौका पृथक से तैयार किया गया। घटना स्थल का निरीक्षण कर घटना स्थल का नक्शा मौका एवं हालात मौका तैयार किया गया। पुलिस थाना मारोठ जिला नागौर की डीवीआर जिस पर **hikvision network video recorder modal no. ds-8616NI-I8, serial no. j80197745** का लेबल लगा हुआ है। उक्त डीवीआर नहीं चलने पर डीवीआर को एक सफेद कपड़े की थैली में सील्ड कर मार्क "सी" से सील्ड कर बतौर वजह सबूत जरिये फर्द जप्ती पृथक से जप्त किया गया।

तत्पश्चात परिवादी श्री फूलचन्द द्वारा रिश्वत की मांग के दौराने सत्यापन दिनांक 19.04.2023 को आरोपी श्री रामनिवास कानिस्टेबल नं. 1344, पुलिस थाना मारोठ, जिला नागौर से हुई बातचीत को डिजिटल टेप रिकार्डर के इन्टरनल मेमोरी में रिकार्ड किया गया जिसको परिवादी एवं गवाहान के समक्ष डिजिटल टेप रिकार्डर को कार्यालय के लैपटॉप में लगाकर रिकार्डिंग वार्ता की तीन सीडी तैयार कर एक सीडी को सफेद कपड़े की थैली में सील्ड कर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "डी" अंकित कर सील्ड पैकेट को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। दो सीडी आरोपी व अन्वेषण हेतु खुली रखी गई। डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्डेड वार्तालाप में परिवादी फूलचन्द ने स्वंय की व आरोपी श्री रामनिवास कानिस्टेबल नं. 1344, पुलिस थाना मारोठ, जिला नागौर की आवाजों की पहचान की है।

तत्पश्चात परिवादी श्री फूलचन्द द्वारा रिश्वत लेनदेन दिनांक 20.04.2023 को आरोपी श्री रामनिवास कानिस्टेबल नं. 1344, पुलिस थाना मारोठ, जिला नागौर से हुई बातचीत को डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया जिसको परिवादी एवं गवाहान के समक्ष डिजिटल टेप रिकार्डर को कार्यालय के लैपटॉप में लगाकर रिकार्डिंग वार्ता का रूपान्तरण किया गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड से दो सीडी तैयार कर आरोपी व अन्वेषण हेतु खुली रखी गई तथा डिजिटल टेप रिकार्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर उसे सफेद कपड़े की थैली में सील्ड कर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "ई" अंकित कर सील्ड पैकेट को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। मेमोरी कार्ड में रिकार्डेड वार्तालाप में परिवादी फूलचन्द ने स्वंय की व आरोपी श्री रामनिवास कानिस्टेबल नं. 1344, पुलिस थाना मारोठ, जिला नागौर की आवाजों की पहचान की है।

मौके की कार्यवाही पूर्ण होने पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान मय गिरफ्तार शुदा आरोपी कानिस्टेबल रामनिवास व जप्त शुदा वजह सबूत माल व रिकार्ड हमराह लेकर मारोठ से रवाना होकर सीकर पहूँचा। जप्त शुदा माल वजह सबूत सील्ड व सुरक्षित हालत में जमा मालखाना करवाया गया।

प्रकरण में परिवादी श्री फूलचन्द के चाचा के लड़के श्री राकेश को दिनांक 17.04.2023 को पुलिस थाना मारोठ जिला नागौर में दर्ज प्रकरण संख्या 06/2023 अपराध अन्तर्गत धारा 420, 406 भा.द.स. में बुलाया गया तथा प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी श्री जगदीश एचसी के मोबाईल नम्बर 9784431265 एवं रीडर श्री रामनिवास कानि. द्वारा अपने

मोबाईल फोन एवं श्री राकेश के मोबाईल फोन नम्बर 8769324909 से राकेश के साले दीनेश कुमावत के मोबाईल नम्बर 9929334249, राकेश की पत्नी श्रीमती रेखा के मोबाईल नम्बर 9983160634 एवं परिवादी के मोबाईल नम्बर 8824892508 एवं परिवादी के छोटे भाई श्री सोहनलाल के मोबाईल फोन नम्बर 8104565518 पर पैसो के लिये बार–बार कॉल किया जा रहा था, इसी कम में दिनांक 17.04.2023 को राकेश के परिचित श्री बिहारीलाल नागा से 20000 रूपये थाना परिसर में मंगवाये गये, थाना हाजा के सीसीटीवी केमरे नहीं चलने के कारण मौके पर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई। अन्वेषण के दौराने राकेश एवं उसके परिजनों के मोबाईल नम्बरों की कॉल डिटेल एवं सीसीटीवी फूटेज प्राप्त कर श्री जगदीश एचसी के आपराधिक षडयन्त्र की स्थिति स्पष्ट की जावेगी।

की गई कार्यवाही से आरोपी श्री रामनिवास कानिस्टेबल नं. 1344 पुलिस थाना मारोठ जिला नागौर द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये परिवादी श्री फूलचन्द के भाई श्री राकेश के विरूद्व पुलिस थाना मारोठ जिला नागौर में दर्ज अभियोग संख्या 06/2023 में श्री राकेश से रूपये बरामदगी नहीं दिखाने एवं एफआईआर में राकेश के अलावा शेष दो आरोपीगण को आरोपी नहीं बनाने की एवज में दिनांक 17.04.2023 परिवादी के भाई राकेश से उसके परिचित श्री बिहारीलाल नागा से 20,000 रूपये मंगवाकर प्राप्त करना एवं रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 19.04.2023 को परिवादी से 5,000 रूपये प्राप्त कर शेष 10,000 रूपये और रिश्वत की मांग करना तथा मांग के अनुशरण में दिनांक 20.04.2023 को परिवादी से 10,000 रूपये बतौर रिश्वत प्राप्त करना प्रथम दृष्टया पाया जाता है। उक्त आरोपी रामनिवास कानि. का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की तारीफ में आता है। अतः उक्त आरोपी रामनिवास कानि. के विरूद्व उपरोक्त धारा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर कमांकन हेतु सीपीएस, एसीबी, जयपुर को प्रेषित है।

(सुरेशचन्द)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,सीकर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेशचन्द, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री रामनिवास, कानिस्टेबल नम्बर 1344, पुलिस थाना मारोठ, जिला नागौर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 90/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

21.4.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक:- 714-17 दिनांक 21.4.2023

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या-1 जोधपुर।
2. पुलिस अधीक्षक, नागौर।
3. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर।

21.4.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।